फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **प्रभुलाल** विपक्षी :— **प्रेमशंकर**

किस्म मुकदमा :— 53,188 आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :— 52/**22 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :— **2022/99**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 04.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी उपस्थित होकर वाद विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण में वादी नया वाद लाने के आधार पर उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहता है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर वादी के वाद को इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जावे। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि अधिवक्ता वादी स्वयं ही प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। प्रकरण को नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते है। ऐसे में प्रकरण को जारी रखने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested